छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के मुख्य प्रावधान

1. राशनकार्ड अन्त्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले गरीब परिवारों एवं सामा परिवारों को जारी होगा।
2. राशनकार्ड परिवार की महिला मुखिया के नाम पर जारी होगा।
3. आयकरदाता परिवारों, गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर से अधि सिंचित भूमि या 8 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमिधारक परिवार, श क्षेत्रों में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल पर निर्मित पक्का मकान के स्व तथा स्थानीय नगरीय निकाय को संपत्तिकर भुगतान करने वाले परि एवं दैनिक वेतनभोगी मानदेयी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़ केन्द्र अथवा राज्य शासन के विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों, नि मंडलों व स्वशासी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के समस्त स्थायी अ संविदा आधार पर नियोजित अधिकारी/कर्मचारी के परिवारों राशनकार्ड जारी नहीं होगा।
4. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के हितग्राहियों को राज्य सरकार निर्धारित पात्रता के अनुसार पूर्व में जारी राशनकार्ड यथावत बने रहेंगे।
5. छः माह से छः वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्थानीय आंगनबाड़ी के मा से आयु अनुसार निःशुल्क भोजन का अधिकार।
6. छः वर्ष से चौदह वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों को शाला में निःशु मध्यान्ह भोजन का अधिकार।
7. राशन प्राप्त करने की सेवा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2 के अंतर्गत सेवा के रूप में शामिल।

"आयोडाईज्ड अमृत नमक का सेवन करें और स्वस्थ र

क्रमांक: 55020100510338

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2004 के अंतर्गत जारी खाद्य अधिकार पुस्तिका

नवीनीकृत राशनकार्ड

1.	हितग्राही का नाम	: पूर्णिमा
2.	पिता/पति का नाम	: राजकुमार
3.	जाति	: अन्य पिछड़ा वर्ग
4.	पता	: जिला –कोरबा, विकासखण्ड –कोरबा ग्राम पंचायत –पण्डरीपानी, ग्राम –पण्डरीपानी
5.	परिवार की श्रेणी	: प्राथमिकता
6.	संलग्न उचित मूल्य दुकान	: ग्राम पंचायत/वार्ड– पण्डरीपानी दुकान क्रमांक – 552001064

सचिव,
ग्राम पंचायत - पण्डरीपानी,
जनपद पंचायत - कोरबा,
जिला - कोरबा (छ. ग.)

ग्राम पंचायत - पण्डरीपानी,
जनपद पंचायत - कोरबा,
जिला - कोरबा (छ. ग.)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत - कोरबा
जिला - कोरबा (छ.ग.)

कलेक्टर द्वारा अधिकृत राशनकार्ड जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर व सील

(कृपया बारकोड के ऊपर कुछ न लिखें / चिपकायें।)

: राशनकार्ड अन्य किसी वैधानिक उपयोग तथा अन्य शासकीय योजनाओ के ,पहचान/प्रमाण पत्र के तौर पर मान्य नहीं किया जावेगा।

नीला